न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी [illegible] (आर.ए.एस.)

[illegible] वाद संख्या [illegible] 83/2025

वाद [illegible] दिनांक — [illegible] 2025

1 खुर्शीद पुत्र पीरू जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 15 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)।

2 [illegible] पुत्र उम्मेद जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 15 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)।

3 [illegible] पुत्र उम्मेद जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 15 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)।

4 साजिद पुत्र उम्मेद जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 15 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)।

वादीगण

बनाम

1– निजाम खा पुत्र ज्यानी जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 15 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)।

2 नजू पुत्र कालू जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 15 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)।

3 समदन पत्नी कालू जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 15 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)।

4. ऐमना पत्नी मोहरखां जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 15 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)।

5 फारूक पुत्र मोहरखां जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 15 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)।

6रोशन पुत्र मोहरजाति इलाही सानिवासी वार्ड नं.15 मण्डावा तहसील जिला सुन्नू (राज.)।

7अयूब पुत्र उम्मेद जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 15 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्नू (राज)।

8 राजस्थान सरकार भूमि धारक जरिये तहसीलदार मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुणू।

दावा घोषणा दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः— **20**.06.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि य यह कि वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 की कब्जा काश्त की जमीन भूमि गत ख.नं. 703/3 रकबा 2 बीघा 12 बिश्वा, ख.नं. 701/1 रकबा 11 बिश्वा, ख.नं. 700 रकबा 5 बीघा 14 बिश्वा भूमि स्थित है जिसके हाल ख.नं. 1690 रकबा 0.6600 हैक्टर, ख.नं. 1691 रकवा 0.9600 हैक्टर, ख.नं. 1694 रकबा 1.4400 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 3.0600 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज जमाल द्वारा छोड़ी गई पैतृक भूमि है।यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के पूर्वज जमाल के चार पुत्रगण ज्यानी, वजीर, अकवर, कादर हुये। जमाल के पुत्र ज्यानी का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान में चार पुत्र कालू, निजाम, मोहरखां व पीरू हुए। पुत्र पीरू को ज्यानी ने अपने जीवनकाल में अपने भाई वजीर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

को गोद दे दिया तब वह पीरू वजीर का गोद का पुत्र हुआ तथा वजीर के हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त पीरू का भी देहान्त हो चुका है पीरू के दो [illegible] कुर्बान व उम्मेद हुये जिसमें उम्मेद का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान में चार पुत्रगण वाजिद, जाकीर, अयुब व साजिद हुए जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में पक्षकार है तथा वादी ज्यानी के अन्य वारिसान कालू का भी देहान्त हो चुका है जिसके दो वारिसान पुत्र मजु व पत्नी समदन है तथा ज्यानी के पुत्र मोहरखां का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान पत्नी ऐमना, पुत्र फारूक, पुत्र रोशन है जो कि उक्त दावा में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के रूप में पक्षकार है।उक्त जमाल के चारो पुत्र का उसके जीवनकाल में ही अलग–अलग हिस्से के खेत बांट दिये गये थे जिस पर वे सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है जमाल के पुत्र वजीर के हक हिस्से की भूमि पर वजीर के वारिसान वादीगण तथा प्रतिवादी नं. 7 काबिज काश्त है तथा उनके हक हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाल के पुत्र ज्यानी के वारिसानो के नाम से दर्ज है जो कि गलत है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का खेत मण्डावा में अन्य जगह पर स्थित है जिस पर वे काबिज काश्त है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का उक्त भूमि वर्णित धारा 1 पर कोई कब्जा काश्त नही है। केवल राजस्व रिकार्ड ही इनके नाम से है। इनक उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायको उक्त राजस्व रिकार्ड वादीगण के हक हिस्से में दर्ज करने में कोई आपति नहीं है।उक्त वर्णित भूमि वर्णित धारा 1 पर वादीगण व प्रतिवादी नं. 7 पिछले 50–60 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है इस कारण वादीगण वर्तमान भूमि वर्णित धारा 1 के खातेदारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हकदार है।वादीगण अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि में आधुनिक तौर तरीके से नलकुप लगाकर सिंचाई खेती करना चाहते है इस बाबत उन्होंने उक्त विवादित भूमि की नकल निकलवाई तो उनको मालुम हुआ की उनके नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज नही है। तब वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि हमारे रिकार्ड में गलती है हमारे पूर्वजो की जमीन तुम्हारे नाम से दर्ज है जो भूलवंश दर्ज हो गई है। तब प्रतिवादीगण ने कहा कि हमे मालुम है हमने उक्त विवादित भूमि का रिकार्ड अपने नाम से दर्ज करवा लिया है यह हमारे हिस्से की भूमि है हम आपको नही देंगे। प्रतिवादीगण ने वादीगण को एलानिया धमकी दी कि तुम लोग हमारे खेत को खाली कर दो जिस वजह से यह दावा पेश करना जरूरी हो गया है। दिनांक 25.03.2025 को प्रतिवादीगण वादीगण की कब्जे शुदा भूमि पर आये वादीगण के साथ गाली गलोच करना शुरू कर दिया कहा कि चुपचाप इस खेत को छोड़कर चले जावो। वादीगण ने कहा कि यह खेत हम उत्तराधिकार में अपने पिता से प्राप्त हुआ है तथा हमअपने हिस्से पर काबिज है आप लोग कानूनन मेरे को उक्त भूमि रो बेदखल नहीं कर सकते है। इस पर प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकी दी कि हम लोग उक्त भूमि को अन्य को विक्रय कर देंगे। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्था निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि विवादित भूमि वर्णित धारा 1 में वादीगण हिस्से की भूमि को विकय न करे, वादीगण को बेदखल ना करे, वादीगण को फसल काटने व ला से ना रोके, विवादित कृषि भूमि को नाजायज विक्रय या हस्तान्तरण ना करे, जिससे वादीगण हिस्से की भूमि पर विपरीत असर पड़े। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।(क). यह कि पत्र वादीगण डिक्री फरमाया जाकर विवादित भूमि हाल खं.नं. 1690 रकबा 0.6600 हैक्टर, ख 1691 रकबा 0. 9600 हैक्टर, खं.नं. 1694 रकबा 1.4400 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 3.0600 है वाके कस्वा मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू स्थित है के सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड वादीग

प्रतिवादी नं. 7 के हक में संयुक्त रूप से कायम किया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादी नं. 7 को खातेदार काश्तकार (टिनेन्ट) घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलबाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। वादी संख्या 01 लगायत 04 एवं प्रतिवादी न0 01 लगायत 06 की ओर से वाद के अनुरूप राजीनामा पेश किया किया जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता की वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वादी संख्या 01 लगायत 04 व प्रतिवादी न0 07 को खातेदार काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

विधि में भूमि के घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारों के द्वारा आपसी राजीनामा पेश हो चुका है । राजीनामें के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायाचित है। राजीनामा निर्णय का मुख्य भाग रहेगा।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम मण्डावा के हाल खं.नं. 1690 रकबा 0.6600 हैक्टर, खं.नं. 1691 रकबा 0.9600 हैक्टर, खं.नं. 1694 रकबा 1.4400 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 3.0600 हैक्टर में दर्ज खातेदारान का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि में वादीगण 01 को 1/2 हिस्से का , वादी संख्या 02 लगायत 04 व प्रतिवादी न० 7 को सयुक्त रूप से उक्त वादग्रस्त में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

तावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 42/2025 कुर्शीद बनाम निजाम वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

न्यायालय निर्णय दिनांक 30.06.2025 के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम मण्डावा के हाल खं.नं. 1690 रकबा 0.6600 हैक्टर, खं.नं. 1691 रकबा 0.9600 हैक्टर, खं.नं. 1694 रकबा 1.4400 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 3.0600 हैक्टर में दर्ज खातेदारान का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि में वादीगण 01 को 1/2 हिस्से का , वादी संख्या 02 लगायत 04 व प्रतिवादी न० 7 को संयुक्त रूप से उक्त वादग्रस्त में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.06.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा